

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(बजट अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून**

संख्या : 413 / प्र0अ0 / सि0वि0 / बजट / बी-1 / आवंटन / कैम्प

दिनांक 05 जून, 2025

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश E File No. 66450/IRR 2-1/1.9/37/2023-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department/I/301017/2025, दिनांक 28.05.2025 द्वारा अनुदान संख्या-20 के पूंजीलेखा मद के मुख्य लेखाशीर्षक 4700 में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत सोलर पैनलों की स्थापना मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु0 224.74 लाख (रुपये दो करोड़ चौबीस लाख चौहत्तर हजार मात्र) का आवंटन प्रमुख अभियन्ता के निर्वर्तन पर रखते हुए किया गया है।

अतः उक्त आवंटित धनराशि रु0 224.74 लाख का आवंटन मुख्य अभियन्तावार/खण्डवार/योजनावार/मदवार निम्नानुसार किया जाता है:-

धनराशि लाख रु0 में

क्र. स.	मद का विस्तृत विवरण/खण्ड का नाम/योजना का नाम	आवंटित धनराशि
क.	20/4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 03-विभिन्न परियोजनाओं के अनुबन्धों के डिफ्रीटल राशियों के भुगतान हेतु, 001-निर्देशन तथा प्रशासन, 03-सोलर पैनल की स्थापना, 00-, 53-वृहद् निर्माण (20/4700-03-001-03-00-53)	
	मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (यांत्रिक) देहरादून	
	लघुडाल खण्ड, श्रीनगर	
1	Project of on-grid solar PV system in irrigation schemes of minor lift irrigation sub division II (Rudraprayag).	39.14
2	Project of solar on grid power plant system at minor lift sub Division I (Srinagar Garhwal) at Distt. Pauri Garhwal.	57.62
	योग लघुडाल खण्ड, श्रीनगर	96.76
	लघुडाल खण्ड उत्तरकाशी	
1	Project of solar on-grid power plant at different lift schemes of Distt. Uttarkashi.	19.43
	योग लघुडाल खण्ड उत्तरकाशी	19.43
	लघुडाल खण्ड, अल्मोड़ा	
1	जनपद अल्मोड़ा के वि.ख. भिकियासैण, सल्ट एवं स्याल्दे की 08 सं0 लिफ्ट योजनाओं पर सोलर पैनलों की स्थापना की परियोजना।	6.00
	योग लघुडाल खण्ड, अल्मोड़ा	6.00
	लघुडाल खण्ड, पिथौरागढ़	
1	जनपद पिथौरागढ़ के सभी विकासखण्डों के विभिन्न लिफ्ट सिंचाई योजनाओं पर सोलर पैनल लगाने की योजना।	102.55
	योग लघुडाल खण्ड, पिथौरागढ़	102.55
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (यांत्रिक) देहरादून	224.74

(रुपये दो करोड़ चौबीस लाख चौहत्तर हजार मात्र)

उपरोक्त आवंटित बजट का उपभोग शासनादेश E File No. 66450/IRR 2-1/1.9/37/2023-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department/I/301017/2025, दिनांक 28.05.2025 में उल्लिखित निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा :-

1. उक्तानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) तथा शासन द्वारा मितव्ययिता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाये।
2. योजना की स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश पत्र सं० 185629/2024, दिनांक 30.01.24 एवं शासनादेश सं० 229237/2025, दिनांक 31.07.2024 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 तक करना सुनिश्चित किया जाय। कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
4. वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने संबंधी वित्त विभाग के शासनादेश सं०-287566/ई-79713/09(150)/2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं नियोजन विभाग के शासनादेश दि० 01.01.22 का भी पूर्णरूप से किया जाय। साथ ही वित्त विभाग के शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय इस कार्यालय/शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

(सुभाष चन्द्र)

प्रमुख अभियन्ता

पत्रांक:

413

/प्र०अ०/बजट/बी-1/तदिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

सचिव (सिंचाई) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त धनराशि की साख सीमा अपने स्तर से निर्गत करने का कष्ट करें तथा साख सीमा की प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (यांत्रिक), देहरादून।

अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, देहरादून/अल्मोड़ा।

अधिशाली अभियन्ता, लघुडाल खण्ड, श्रीनगर/उत्तरकाशी/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।

(डी०एस० कछवाहा)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बजट)

कृते प्रमुख अभियन्ता